⑥

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी, मनसुख राम डामोर, आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 86/2017
दायर दिनांक – 13/10/2017
निर्णय दिनांक – 31/03/2021

अनवान

1. शंकरलाल पिता कालु जाति जाट निवासी जीवाखेडा तहसील रेलमगरा

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा व ईन्द्राज दुरूस्ती

: निर्णय :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 136 रा०का०अ० का प्रस्तुत किया कि ग्राम माण्डपिया खेडा पटवार क्षैत्र कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद में वर्तमान कृषि आराजी संख्या 5147 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म बीड स्थित है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कालु पिता नारायण जाट, निवासी जीवाखेडा के नाम पर खातेदारी अधिकार से दर्ज है। प्रमाण में नकल जमाबंदी व नक्शाट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि वादपत्र के साथ प्रस्तुत है। वादग्रस्त आराजी सख्या 5147 रकबा 1 बिघा 10 बिस्वा के गत भू माप के आराजी सख्या 2645 थे जो उक्त गत भू माप की आराजी सख्या 2645 का रकबा 1 बिघा 03 बिस्वा भूमि दिनांक 23/06/1955 के पंजीकृत विकय पत्र के जरिये तत्कालीन खोतदार मु. प्यारी बेवा प्रताप जी ब्राहमण निवासी कुरज से वादी के पिता कालु जी ने कय की जिसका नामान्तरकरण सख्या 61 निर्णित किया गया है जो नामान्तरकरण रजिस्टर्ड विकय विलेख के विपरित कालु बेटा नारायण के नाम से निर्णित नहीं कर कालु पिता नारायण के नाम से निर्णित किया गया जो गलम अवैध व राजस्व अधिकारी द्वारा बिना पुरी जांच किये ही उक्त नामान्तरकरण निर्णित किया गया है। जबकि विकय पत्र में केता कालु बेटा नारायण अंकित है अर्थात् नारायण का पिता कालु है । जिसे गलत तरिके से नारायण को कालु का पिता नाम से जोड दिया गया है जबकि वास्तविक रूप से कालु के दो पुत्र नारायण व शंकरलाल है तथा कालु के पिता का नाम रामा जी है जिनकी रामाजी की मृत्यू दिनांक 18/04/1986 को हो चुकी है तथा कालु के प्रथम बडे पुत्र नारायण की भी लाओलाद मृत्यु हो चुकी है जिससे वर्तमान् में कालु का एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी वादी ही रह जाता है। महज वादी के पिता के नाम की जगह उक्त भूमि मे वादी के भाई नारायण का नाम अंकित हो जाने से उक्त आराजी आज भी वादी के मृतक पिता कालु जी के नाम पर अंकित चली आ रही है। जिससे वादी घोषणा एवं ईन्द्राज दुरूस्ती के माध्यम से उक्त आराजी में अंकित खातेदार के नाम में संशोधित कर उक्त भूमि वादी सीधे तोर पर अपने नाम पर दर्ज कराने का अधिकारी है तदनुसार वादी ईन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा की डिकी प्राप्त करना चाहता है जिसके लिए उक्त वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी के पिता का नाम कालु होकर कालु के पिता का नाम रामा जी है तथा कालु जी के दो पुत्र वादी शंकरलाल एवं दुसरा पुत्र मृतक नारायण लाल नाम से है। इस

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

संबंध में आवश्यक दस्तावेज वादपत्र के साथ प्रस्तुत किये जा रहे है। वादी ने उपरोक्त अनुसार उक्त भूमि में अंकित खातेदार के नाम में संशोधित कराने के लिए एंव विरासत के आधार पर वादी के मृत पिता के नाम की भूमि वादी के नाम पर दर्ज कराने के लिए प्रतिवादी के यंहा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किय जिस पर प्रतिवादी द्वारा आज से 10 दिन पूर्व उक्त आशय का अकंन करने से मना कर दिया जिससे वादी का वाद हेतु आज से 10 दिन पूर्व से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की घोषणात्मक डिकी जाहीर फरमाई जावे कि ग्राम माण्डपिया का खेडा पटवार क्षैत्र कुरज तहसील रेलमगरा की कृषि आराजी सख्या 5147 रकबा 1 बिघा 10 बिस्वा भूमि के खातेदार कृषक के रूप में अंकित नाम कालु पिता नारायण जाट विलोपित फरमाते हुऐ उसकी जगह वादी का नाम दर्ज फरमाया जावें। तदनुसार ईन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणात्मक डिकी जारी फरमाई जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गयी प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार स्वीकारात्मक जवाब पेश किया तथा वादी अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पीडब्लयू 1 शंकरलाल का शपथ पत्र एवं दस्तावेज जमाबंदी प्रदर्श 01, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 02, विकय पत्र की प्रति प्रदर्श 03 ए व नामान्तरकरण संख्या 61 की प्रति प्रदर्श 04, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र प्रदर्श 05, 06 तथा बंदोबस्त जमाबंदी प्रदर्श 07 मिलान खसरा प्रदर्श 08 आधार प्रति प्रदर्श 09 राशन कार्ड प्रदर्श 10 विद्युत बिल प्रदर्श 11 कालुराम का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 12 नारायणलाल का मृत्यु प्रमाण प्रदर्श 13 ग्राम पंचायत का प्रमाण प्रदर्श 14 के प्रस्तुत किये गये। पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

अतः वादी का वाद बाबत घोषणा इन्द्राज दुरस्ती स्वीकार किया ग्राम माण्डपिया खेडा पटवार क्षैत्र कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद में वर्तमान कृषि आराजी संख्या 5147 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा में अंकित कालु पिता नारायण जाट को विलोपित किया जाकर वादी शंकरपिता कालु जाट के नाम अंकन किये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को आदेश दिये जाते है पालना हेतु तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 31/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा